

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

# दिल्ली राजपत्र

## Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-31032026-271457  
SG-DL-E-31032026-271457असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 94]	दिल्ली, मंगलवार, मार्च 31, 2026/चैत्र 10, 1948	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 522
No. 94]	DELHI, TUESDAY, MARCH 31, 2026/CHAITRA 10, 1948	[N. C. T. D. No. 522

भाग IV  
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIमहिला एवं बाल विकास विभाग  
अधिसूचना

दिल्ली, 30 मार्च, 2026

फा0 सं0 8(776) /डीडब्ल्यूसीडी/लाडली/आईओडीएलएसआईआई /भाग-I/22056-67.—दिनांक 1 फरवरी, 2008 की अधिसूचना संख्या 8(1) /एफएएस/जीसीपीआर/ डीएसडब्ल्यू /06-07/2056-70 के द्वारा राजपत्र में प्रकाशित दिल्ली लाडली योजना, 2008 के अधिक्रमण में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद द्वारा "दिल्ली लखपति बिटिया योजना" के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं।

### 1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ:

- इन नियमों को "दिल्ली लखपति बिटिया योजना नियमावली" कहा जाए।
- ये नियम दिनांक 1 अप्रैल, 2026 से लागू होंगे।
- बालिकाओं की शिक्षा से संबंधित अन्य जमा योजनाएं शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू की जाएंगी।

## 2. लक्ष्य तथा उद्देश्य:

1. परिवार के साथ-साथ समाज में बालिका की सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाना।
2. बालिका की उचित शिक्षा तथा सशक्तिकरण सुनिश्चित करना।
3. बालिकाओं की शिक्षा जारी रखने को प्रोत्साहित करना।
4. बालिकाओं की दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना।
5. बालिका को भेदभाव तथा अभाव से बचाना।

## 3. पात्रता शर्तें:

1. बालिका का जन्म दिल्ली में होना चाहिए;
2. पंजीयक (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा जारी किए गए जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार, बालिका का जन्म दिल्ली में हुआ होना चाहिए;
3. आवेदक को आवेदन की तिथि से कम से कम तीन वर्ष पूर्व तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का प्रामाणिक निवासी होना चाहिए;
4. परिवार की वार्षिक आय 1,20,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए;
5. इस योजना का लाभ एक परिवार की केवल दो बालिकाओं को ही मिलेगा;
6. दिल्ली में सरकारी/एमसीडी/एनडीएमसी या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय में वर्तमान में पढ़ रही बालिकाएं इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए पात्र होंगी।
7. इस योजना के अंतर्गत बालिका का पंजीकरण जन्म के 1 वर्ष के भीतर तथा कक्षा I, VI, IX, XI, XI में प्रवेश लेने पर या कक्षा X उत्तीर्ण करने के पश्चात पॉलिटेक्निक/आईटीआई पाठ्यक्रमों (भारत में कहीं भी) में प्रवेश लेने पर, कक्षा XII में प्रवेश लेने पर तथा स्नातक/डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर किया जा सकता है;
8. भारत में कहीं भी किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त या संबद्ध विश्वविद्यालय/कॉलेज/संस्थान या किसी अन्य सरकारी निकाय (राज्य/केंद्र) में किसी भी व्यावसायिक डिप्लोमा की पढाई कर रही बालिका इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए पात्र होगी;
9. भारत में कहीं भी, यूजीसी/किसी अन्य सरकारी निकाय से संबद्ध/मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय/कॉलेज/संस्थान में स्नातक की पढाई कर रही बालिका इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए पात्र होगी;
10. बालिका का विवाह अठारह (18) वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले नहीं किया जाना चाहिए;
11. लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत किसी भी चरण के लिए आवेदन करने के पात्र हैं, बशर्ते उन्होंने आयु के अनुसार/सरकारी मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रतिरक्षण पूरा कर लिया हो। (यह नियम दिनांक 01.04.2026 से इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले सभी नए लाभार्थियों पर लागू होगा)।
12. दिल्ली लाडली योजना के मौजूदा लाभार्थी नई योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा के लिए लागू होने वाले अन्य लक्ष्यों हेतु पात्र होंगे, बशर्ते कि वे 18 वर्ष की आयु तक अविवाहित रहें।
13. दिल्ली में स्थित किसी भी सरकारी तथा लाइसेंस प्राप्त बाल देखभाल संस्थान (सीसीआई) में रहने वाली बालिका के लिए, जहां राज्य सरकार अभिभावक है:
  1. संस्था की प्रभारी ही बालिका की अभिभावक होंगी।
  2. ऐसे मामलों में परिवार के तीन वर्ष से दिल्ली में रहने की शर्त तथा पारिवारिक आय सीमा में छूट दी जाएगी।
  3. बालिका के जन्म स्थान को भी छूट दी जाएगी।

4. बालिका का आधार कार्ड तथा सीसीआई के प्रभारी (पंजीकरण के समय) का आधार कार्ड, जो अभिभावक हैं, आवश्यक दस्तावेजों के अंतर्गत माने जाएंगे।

5. यह नियम केवल उन दीर्घकालिक मामलों (निवासियों) पर लागू होता है जो विद्यालय जाती हैं।

#### 4. सक्षम प्राधिकारी:

1. संबंधित जिले के जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी (जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी) आवेदनों की प्रारंभिक स्वीकृति तथा सत्यापन के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे। सक्षम प्राधिकारी आवश्यकतानुसार व्यक्तिगत संपर्क या मौके पर सत्यापन के माध्यम से आवेदन की सामग्री का सत्यापन कर सकते हैं।
2. जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी बाद के महत्वपूर्ण चरणों (कक्षा I, VI, IX, XI या कक्षा X उत्तीर्ण करने के पश्चात पॉलिटेक्निक/आईटीआई पाठ्यक्रमों में प्रवेश, कक्षा XII में प्रवेश तथा व्यावसायिक डिप्लोमा/स्नातक आदि में प्रवेश) के लिए स्वीकृति देने वाला प्राधिकारी भी होगा।
3. सक्षम प्राधिकारी, बालिका के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक प्रत्येक नवीनीकरण चरण में उसकी वैवाहिक स्थिति का सत्यापन करेगा। यदि 18 वर्ष से पहले विवाह हो जाता है, तो पात्रता समाप्त हो जाएगी।
4. सक्षम प्राधिकारी सरकार के मानदंडों के अनुसार सभी चरणों में बालिका के प्रतिरक्षण की स्थिति का सत्यापन करेगा।

#### 5. वित्तीय सहायता की विशेषताएं:

1. सरकार किस्तों में वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जो निम्नानुसार हैं:
  - i. 'बी' माइलस्टोन वाली बालिका के जन्म पर 11,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा, जिसे बालिका के 18/21 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर वापस लिया जा सकेगा।
  - ii. 'ओ' माइलस्टोन वाली बालिका के पहली (Ist) कक्षा में प्रवेश के समय 5,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा, जिसे बालिका के 18/21 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर वापस लिया जा सकेगा।
  - iii. 'एस' माइलस्टोन वाली बालिका के छठी (6<sup>th</sup>) कक्षा में प्रवेश के समय 5,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा, जिसे बालिका के 18/21 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर वापस लिया जा सकेगा।
  - iv. 'एन' माइलस्टोन वाली बालिका के नौवीं (9<sup>th</sup>) कक्षा में प्रवेश के समय 5,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा, जिसे बालिका के 18/21 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर वापस लिया जा सकेगा।
  - v. 'टी(t)' माइलस्टोन वाली बालिका के ग्यारहवीं (11<sup>th</sup>) में प्रवेश लेने पर या कक्षा दसवीं (10<sup>th</sup>) उत्तीर्ण करने के पश्चात पॉलिटेक्निक/आईटीआई पाठ्यक्रमों (भारत में कहीं भी) में प्रवेश लेने पर 5,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा, जिसे बालिका के 18/21 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर वापस लिया जा सकेगा।
  - vi. 'टी(T)' माइलस्टोन वाली बालिका के बारहवीं (12<sup>th</sup>) में प्रवेश लेने पर 5,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा, जिसे बालिका के 18/21 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर वापस लिया जा सकेगा।
  - vii. 'डी' माइलस्टोन वाली बालिका के 1 वर्ष की अवधि के किसी भी व्यावसायिक डिप्लोमा में प्रवेश के लिए 10,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा, जिसे 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने तथा पाठ्यक्रम पूरा करने के पश्चात वापस लिया जा सकेगा।
  - viii. क्रमशः 'डी1 (d1)' तथा 'डी2 (d2)' माइलस्टोन वाली बालिका के 2 वर्ष की अवधि के किसी भी व्यावसायिक डिप्लोमा में प्रवेश के लिए 20,000 रुपये (प्रथम वर्ष में 10,000 रुपये तथा द्वितीय वर्ष में 10,000 रुपये) का भुगतान किया जाएगा, जिसे 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने तथा पाठ्यक्रम पूरा करने के पश्चात वापस लिया जा सकेगा।
  - ix. क्रमशः 'डी1 (D1)', 'डी2 (D2)' तथा 'डी3 (D3)' माइलस्टोन वाली बालिका के 3 वर्ष की अवधि के किसी भी व्यावसायिक डिप्लोमा में प्रवेश के लिए 20,000 रुपये (प्रथम वर्ष में 5,000 रुपये,

द्वितीय वर्ष में 5,000 रुपये तथा तृतीय वर्ष में 10,000 रुपये) का भुगतान किया जाएगा, जिसे 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने तथा पाठ्यक्रम पूरा करने के पश्चात वापस लिया जा सकेगा।

या

- x. क्रमशः 'जी1 (G1)', 'जी2 (G2)' तथा 'जी3 (G3)' माइलस्टोन वाली बालिका के 3 वर्षीय स्नातक में प्रवेश के लिए 20,000 रुपये (प्रथम वर्ष में 5,000 रुपये, द्वितीय वर्ष में 5,000 रुपये तथा तृतीय वर्ष में 10,000 रुपये) का भुगतान किया जाएगा, जिसे 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने तथा पाठ्यक्रम पूरा करने के पश्चात वापस लिया जा सकेगा।
- xi. क्रमशः 'एच1 (H1)', 'एच 2 (H2)', 'एच 3 (H3)' तथा 'एच 4 (H4)' माइलस्टोन वाली बालिका के 4 वर्षीय स्नातक में प्रवेश के लिए 25,000 रुपये (प्रथम वर्ष में 5,000 रुपये, द्वितीय वर्ष में 5,000 रुपये, तृतीय वर्ष में 5,000 रुपये तथा चतुर्थ वर्ष 10,000 रुपये) का भुगतान किया जाएगा, जिसे 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने तथा पाठ्यक्रम पूरा करने के पश्चात वापस लिया जा सकेगा।

2. यह वित्तीय सहायता बालिका के नाम पर दी जाएगी तथा इसे तभी भुनाया जा सकेगा जब वह नियमित छात्रा के रूप में या राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान के माध्यम से कक्षा XII उत्तीर्ण कर ले या पॉलिटेक्निक/आईटीआई पाठ्यक्रम पूरा कर ले और 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले या स्नातक/डिप्लोमा उत्तीर्ण कर ले, जैसा भी लागू हो तथा 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले।
3. बाद के चरणों में नवीनीकरण के लिए आवेदन करने का दायित्व बालिका के माता-पिता/अभिभावकों पर होगा और यह आवेदन तभी किया जाएगा जब माता-पिता/अभिभावक किसी सरकारी/एमसीडी/एनडीएमसी या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय/ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और संबद्ध विश्वविद्यालय/ कॉलेज/ यूजीसी द्वारा संबद्ध/मान्यता प्राप्त संस्थान/ या किसी अन्य सरकारी निकाय से प्राप्त प्रामाणिक प्रमाण पत्र/ प्रवेश प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
4. लाभार्थी की मृत्यु होने की स्थिति में, मृत्यु की तिथि तक उस वर्ष के लिए घोषित आनुपातिक मूल ब्याज दर सहित संचित निधि मूल्य सरकार को वापस कर दिया जाएगा।
5. इस वित्तीय सहायता के निमित्त कोई ऋण या अन्य क्रेडिट सुविधा स्वीकार्य नहीं होगी।
6. यह वित्तीय सहायता गैर-हस्तांतरणीय/गैर-वापसी योग्य होगी और समय से पहले नकदीकरण के लिए अपात्र होगी।
7. दुर्घटना/गंभीर बीमारी जैसी अप्रत्याशित परिस्थितियों में, यदि छात्रा विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ है, तो सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा सत्यापन की उचित प्रक्रिया के अधीन, यह राशि छात्रा को वितरित की जा सकती है।

## 6. वित्तीय सहायता के लिए आवेदन:

1. इन नियमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए आवेदन सक्षम प्राधिकारी को समर्पित पोर्टल के द्वारा ऑनलाइन माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा।
2. माता-पिता/अभिभावकों को बालिका के जन्म की तिथि से एक वर्ष के भीतर या प्रवेश की तिथि से 90 दिनों के भीतर बालिका के लिए आवेदन जमा करना होगा, लागू नियमानुसार। यद्यपि, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी व्यक्तिगत मामलों की योग्यता के आधार पर उपरोक्त समय सीमा में छूट देने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे।
3. आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाने चाहिए:
  1. राशन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र या निवास प्रमाण के रूप में कोई अन्य दस्तावेज की प्रति, जिसमें दिल्ली में कम से कम 3 वर्ष के निवास का स्पष्ट प्रमाण हो;
  2. पंजीयक (जन्म एवं मृत्यु) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा जारी किया गया बालिका का जन्म प्रमाण पत्र;

3. आवेदन के लिए माता-पिता और बालिका की संयुक्त तस्वीर अपलोड की जानी चाहिए;
  4. परिवार की वार्षिक आय तथा बालिका की वैवाहिक स्थिति के संबंध में माता-पिता द्वारा स्व-घोषणा पत्र अपलोड किया जाएगा;
  5. सरकारी/एमसीडी/एनडीएमसी या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय/ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और संबद्ध विश्वविद्यालय/ कॉलेज/ यूजीसी द्वारा संबद्ध/मान्यता प्राप्त संस्थान/ या किसी अन्य सरकारी निकाय से प्रवेश प्रमाण पत्र/प्रामाणिक प्रमाण पत्र।
  6. यदि दिल्ली के किसी निजी विद्यालय में पढ़ने वाली बालिका इस योजना के पात्रता मानदंडों के अंतर्गत आती है, तो विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा जारी प्रमाण पत्र, जिस पर संबंधित क्षेत्र के जिला शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर/सत्यापन हों, अनिवार्य होगा।
  7. सरकारी मानदंडों के अनुसार प्रतिरक्षण प्रमाण पत्र अपलोड किया जाना चाहिए।
- 7. निर्धारित लक्ष्यों के लिए वित्तीय सहायता जारी करने की प्रक्रिया:**
1. प्राधिकृत बैंकिंग पार्टनर द्वारा स्वीकृत आवेदन डाउनलोड किया जाएगा और निर्दिष्ट साधन में निवेश करने के लिए विभाग से आवश्यक निधि प्राप्त करने हेतु अंतरिम अनुरोध किया जाएगा।
  2. वित्तीय सहायता के लिए प्राप्त पावती रसीद में निधि राशि और अद्यतन उपलब्धियों से संबंधित सभी विवरण शामिल होंगे तथा इसे लाभार्थी की लॉगिन आईडी पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
  3. प्राधिकृत बैंकिंग पार्टनर वित्तीय सहायता की पावती रसीद जारी करने की सुचारू प्रक्रिया सुनिश्चित करेगा।
  4. वित्तीय सहायता की परिपक्वता पर, अर्थात् i) 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने और नियमित छात्रा के रूप में या राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान के माध्यम से कक्षा XII तक विद्यालय में अध्ययन करने पर, या ii) 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने और स्नातक उत्तीर्ण करने पर, संचित राशि बालिका के आधार से जुड़े बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।
  5. यदि किसी लाभार्थी का अठारह (18) वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले विवाह हो जाता है, तो वह आगे किसी भी चरण के नवीनीकरण और इस योजना के अंतर्गत परिपक्वता राशि प्राप्त करने के लिए तुरंत अयोग्य घोषित कर दी जाएगी। ऐसे मामले में, परिपक्वता राशि सरकार के खाते में वापस जमा कर दी जाएगी।
  6. लाभों का वितरण इस शर्त के अधीन है कि बालिका ने सरकार द्वारा निर्धारित आवश्यक प्रतिरक्षण पूर्ण कर लिया हो। सक्षम स्वास्थ्य प्राधिकारी से प्रमाणित प्रतिरक्षण अभिलेख प्रस्तुत करने में विफल रहने पर आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा। ऐसे मामले में, परिपक्वता राशि सरकार के खाते में वापस जमा कर दी जाएगी।
  7. किसी विशेष वर्ष में देय सभी परिपक्वता लाभों का वितरण विभाग द्वारा वर्ष में एक बार एकमुश्त किया जाएगा।
  8. सक्षम प्राधिकारी प्रत्येक छह माह के बाद संबंधित प्राधिकृत बैंकों के साथ व्यय का मिलान करेगा।
  9. यदि कोई लाभार्थी प्रारंभिक नामांकन के बाद 21/25 वर्ष की आयु तक किसी भी बाद के चरण का नवीनीकरण नहीं कराती है, तो वह योजना के अंतर्गत आगे कोई भी लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं रहेगी। तदनुसार, योजना के अंतर्गत उसके नाम पर जमा की गई कुल राशि, संचित ब्याज सहित, वापस ले ली जाएगी और सरकार के खाते में जमा कर दी जाएगी तथा योजना के अंतर्गत लाभ के लिए आगे कोई भी दावा या निवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- 8. वित्तीय सहायता की अवधि एवं नवीनीकरण:**
1. शिक्षा निदेशालय यह सुनिश्चित करेगा कि दिल्ली में शिक्षा विभाग/एमसीडी/एनडीएमसी द्वारा संचालित विद्यालयों और मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा I, VI, IX, XII में प्रवेश लेने वाली सभी बालिकाएं उक्त

योजना के अंतर्गत लागू नियमों के अनुसार आवश्यक नवीनीकरण के लिए आवेदन करें और प्रक्रिया शुरू करें।

2. भारत में कहीं भी, किसी भी सरकारी निकाय से संबद्ध/मान्यता प्राप्त कोई भी संस्थान, जो पॉलिटैक्रिक/आईटीआई पाठ्यक्रम प्रदान करता है, यह सुनिश्चित करेगा कि कक्षा X उत्तीर्ण करने के पश्चात पॉलिटैक्रिक/आईटीआई में प्रवेश लेने वाली सभी बालिकाएं उक्त योजना के अंतर्गत लागू नियमों के अनुसार आवश्यक नवीनीकरण के लिए आवेदन करें और प्रक्रिया शुरू करें।
3. यूजीसी से संबद्ध/मान्यता प्राप्त कोई भी विश्वविद्यालय/कॉलेज या कोई अन्य सरकारी निकाय यह सुनिश्चित करेगा कि स्नातक स्तर पर प्रवेश लेने वाली सभी बालिकाएं उक्त योजना के अंतर्गत लागू नियमों के अनुसार आवश्यक नवीनीकरण के लिए आवेदन करें और प्रक्रिया शुरू करें।
4. वित्तीय सहायता का नवीनीकरण, लागू होने के अनुसार, जमा/माइलस्टोन के प्रत्येक बाद के चरण में किया जाएगा।
5. यदि कोई लाभार्थी अपने प्रारंभिक नामांकन के पश्चात किसी भी बाद के चरण पर लाभ का दावा करने में विफल रहती है, तो वह किसी अन्य आगामी चरण के नवीनीकरण के समय उसका लाभ उठा सकती है।
6. लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत किसी भी चरण को नवीनीकृत कराने के लिए पात्र है, बशर्ते उसने आयु के अनुसार /सरकारी मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रतिरक्षण पूर्ण कर लिया हो। (यह नियम दिनांक 01.04.2026 से इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले सभी नए लाभार्थियों पर लागू होगा)। प्रत्येक विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि बालिका का प्रतिरक्षण सरकारी नियमों के अनुसार शुरू से अंत तक पूरा हो।
7. नवीनीकरण के समय, लाभार्थी के जीवित होने तथा अपनी पढ़ाई जारी रखने को प्रमाणित करने वाला एक प्रामाणिक प्रमाण पत्र संबंधित विद्यालय/कॉलेज/संस्थान से प्राप्त किया जाएगा, जो निर्धारित नियमों के अनुसार विद्यालय/कॉलेज/संस्थान के प्रधानाचार्य/ प्रमुख द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित हो।
8. इस प्रकार का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का दायित्व बालिका के माता-पिता /अभिभावक/विद्यालय /कॉलेज/संस्थान पर होगा।
9. सक्षम प्राधिकारी स्वीकृत नवीकरण आवेदनों पर स्वीकृति आदेश जारी करेगा तथा उसे प्राधिकृत बैंक को प्रस्तुत करेगा।

## 9. पते में परिवर्तन:

आवेदक को निवास/विद्यालय के पते में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना प्रमाण सहित सक्षम प्राधिकारी को इसे परिवर्तन होने के एक माह के भीतर देनी होगी।

## 10. अन्य अनुबंध:

यदि किसी बालिका के जन्म के एक वर्ष के भीतर पंजीकरण नहीं हो सका, तो वह बाद में निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन कर सकती है। बशर्ते, वह पात्रता मानदंडों को पूरा करती हो, उसे केवल उन्हीं भुगतानों की प्राप्ति का अधिकार होगा जो योजना में शामिल होने के चरण से देय हैं।

## 11. अपीलीय प्राधिकारी:

शिकायत के मामले में, आवेदक अपनी शिकायत के निवारण हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशक से अपील कर सकती है तथा निदेशक का निर्णय अंतिम होगा।

यह सचिव, मंत्रिमंडल के दिनांक 01-03-2026 के पत्र संख्या फा0 5314/ सा0प्रशा0वि0 /सीएन/2026 /1218 के द्वारा परिचालित मंत्रिमंडल के निर्णय संख्या 3312 के अनुसरण में जारी किया गया है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर,  
डॉ. रश्मी सिंह, सचिव

**DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT****NOTIFICATION**

Delhi, the 30th March, 2026

**F.No.8(776)/DWCD/LADLI/IODLSII/Part-I/ 22056-67.**— In supersession of Delhi Ladli Scheme, 2008 published in the gazette notification no. No. 8(1)/FAS/GCPR/DSW/06-07/2056-70 dated: February 01, 2008, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following rules for “Delhi Lakhpati Bitiya Scheme”.

**1. Short Title and Commencement:**

- a. These rules may be called “**Delhi Lakhpati Bitiya Scheme Rules**”.
- b. These rules shall come into force from April 1, 2026.
- c. Other deposits linked with education of girl children shall be implemented from the Academic session 2026-27.

**2. Aims and Objectives:**

1. Enhance the social status of the girl child in society as well as within the family.
2. Ensure proper education and empowerment of the girl child.
3. Encourage continuation of education among girl children.
4. Ensure long-term financial security to girl children.
5. Protect the girl child from discrimination and deprivation.

**3. Eligibility conditions:**

1. A Girl should be born in Delhi;
2. The girl child must have been born in Delhi as shown by the Birth Certificate issued by Registrar (Births & Deaths);
3. The applicant must be bonafide resident of the National Capital Territory of Delhi for at least three years preceding the date of application;
4. Annual family income should not exceed Rs. 1, 20,000/-;
5. Benefit of scheme is limited to two girls in a family;
6. The girls who are currently studying in a Govt./MCD/NDMC or Govt. recognised school in Delhi, shall be eligible to apply under the scheme
7. The girl child can be registered under the scheme, within 1 year after birth and when admitted in class I, VI, IX, XI, XI or admission in Polytechnic/ ITI courses (anywhere in India) after passing class X, admitted in class XII and admission in Graduation/Diploma course;
8. The girl child pursuing any professional diploma in any Government recognised, or affiliated university/college/institutions or any other government body (State/Central), anywhere in India, shall be eligible to apply under the scheme;
9. The girl child pursuing graduation in any university/college/institutions affiliated/recognised by UGC/ any other Government body, anywhere in India, shall be eligible to apply under the scheme;

10. The girl child should not be married until she attains the age of eighteen (18) years;
11. The beneficiary is eligible to apply any milestone under the scheme subject to fulfilment of immunization required as per age / prescribed as per the Government Norms. (This will apply for all new beneficiaries applying under the scheme w.e.f. 01.04.2026);
12. The existing beneficiaries of Delhi Ladli Scheme will be eligible for further applicable milestone for higher education under the new scheme subject to condition that they remain unmarried till 18 year's of age;
13. For girl child residing in any Government run and Licensed Child Care Institutions (CCIs) located in Delhi, where guardian is the State:
  1. The Incharge of the institution will be the guardian of the girl child.
  2. The conditions of the family residing in Delhi for three years and family income limit shall be exempted in such cases.
  3. The birth place of the girl child shall also be exempted.
  4. The Aadhar card of girl child and Aadhar card of the Incharge (at the time of registration) of the CCI being guardian shall be considered under required documents.
  5. This is applicable to only long term cases (residents) who are school going.

#### **4. Competent Authority:**

1. The District Women & Child Development Officer (District W & CD Officer) of the concerned District shall be the Competent Authority for initial sanction and verification of applications. The Competent Authority may verify the contents of the application through personal interaction or spot verification, as deemed necessary.
2. The District WCD Officer shall also be the sanctioning authority for subsequent milestones (Class I, VI, IX, XI or admission in Polytechnic/ ITI courses after passing class X, admitted in class XII & admission in Professional Diploma/Graduation etc.).
3. The Competent Authority shall verify the marital status of the girl child at every renewal stage until she attains 18 year's of age. If married before 18 years, eligibility shall stand discontinued.
4. The Competent Authority shall verify the immunisation status of girl child as per the Government Norms at all stages.

#### **5. Characteristics of Financial Assistance:**

1. Government shall provide financial assistance in phased installments, which are as under:
  - i. Payment of Rs. 11,000/- on the birth of girl child with milestone 'B' to be redeemed when she attains 18/21 year's of age.
  - ii. Payment of Rs. 5,000/- on admission in 1<sup>st</sup> standard with milestone 'O' to be redeemed when she attains 18/21 year's of age.
  - iii. Payment of Rs. 5,000/- on admission in 6<sup>th</sup> standard with milestone 'S' to be redeemed when she attains 18/21 years of age.

- iv. Payment of Rs. 5,000/- on admission in 9<sup>th</sup> standard with milestone 'N' to be redeemed when she attains 18/21 year's of age.
  - v. Payment of Rs. 5,000/- on admission in 11<sup>th</sup> standard or admission in Polytechnic/ ITI courses after passing class 10<sup>th</sup> with milestone 't' to be redeemed after she attains 18/21 year's of age.
  - vi. Payment of Rs. 5,000/- on admission in 12<sup>th</sup> standard with milestone 'T' to be redeemed when she attains 18/21 year's of age.
  - vii. Payment of Rs. 10,000/- on admission in any professional diploma of 1 year duration with milestone 'D' to be redeemed after she attains 21 years of age and complete the course.
  - viii. Payment of Rs. 20,000/- (Rs. 10,000 in 1<sup>st</sup> year, Rs. 10,000 in 2<sup>nd</sup> year) on admission in any professional diploma of 2 years' duration with milestone 'd1' & milestone "d2" respectively to be redeemed after she attains 21 years of age and complete the course.
  - ix. Payment of Rs. 20,000/- (Rs. 5,000 in 1<sup>st</sup> year, Rs. 5,000 in 2<sup>nd</sup> year & Rs. 10,000 in 3<sup>rd</sup> year) on admission in any professional diploma of 3 years with milestone 'D1', 'D2' & 'D3' respectively to be redeemed after she attains 21 years of age and complete the course.
- or
- x. Payment of Rs. 20,000/- (Rs. 5,000 in 1<sup>st</sup> year, Rs. 5,000 in 2<sup>nd</sup> year, and Rs. 10,000 in 3<sup>rd</sup> year) on admission in Graduation of 3 year duration with milestones 'G1' & 'G2' & 'G3' respectively to be redeemed after she attains 21 year's of age and completes the course
  - xi. Payment of Rs. 25,000/- (Rs. 5,000 in 1<sup>st</sup> year, Rs. 5,000 in 2<sup>nd</sup> year, Rs. 5,000 in 3<sup>rd</sup> year and Rs. 10,000 in 4<sup>th</sup> year) on admission in Graduation of 4 year duration with milestones 'H1' & 'H2', 'H3' & 'H4' respectively to be redeemed after she attains 21 year's of age and completes the course.
2. The Financial Assistance shall be made in the name of the girl child and shall be encashable only after she has passed class XII as a regular student or through the National Institute of open schooling or completed Polytechnic/ ITI courses and has attains 18 year's of age, or passed graduation/diploma, as applicable and attains the 21 year's of age.
  3. The onus of applying for renewal at subsequent milestones shall lie with the parents/guardians of the girl child and shall be made only when the parents/guardians produce the bonafide certificate/ admission certificate from a Govt./MCD/NDMC or Govt. recognised school/ Government recognised & affiliated university/college/institutions affiliated/recognised by UGC/ or any other government body.
  4. In case of death of the beneficiary, the accumulative fund value, including proportionate basic interest rate declared for that year up to the date of death, shall be returned to the Government.
  5. No loan or other credit facility shall be admissible against the financial assistance.
  6. The financial assistance shall be non-transferable/ non- refundable and ineligible for pre-mature encashment.

7. In the event of unforeseen circumstances like accident/severe illness where the student is unable to attend the school, the amount could be dispersed to the girl, subject to due process of verification by a Competent Medical Authority.

**6. Application for Financial Assistance:**

1. An application for the Financial Assistance under these rules shall be submitted to Competent Authority through online mode through a dedicated portal.
2. The parents/guardian shall submit the application of the girl child within one year from the date of birth of the child or 90 days from the date of admission, as applicable. However, District W & CD Officer shall be the competent Authority to relax the above time limit depending on the merits of the individual cases.
3. The following documents shall be attached with the application:
  - a. A copy of ration card or voter identity card or any other document as a proof of residence, which clearly shows at least 3 years of residence in Delhi;
  - b. The Birth Certificate of the girl child issued by Registrar (Births & Deaths) of National Capital Territory of Delhi;
  - c. A Joint photograph of the parents and the girl child should be uploaded on the application;
  - d. A self- declaration by the parents regarding family Annual Income and marital status of the girl, shall be uploaded;
  - e. Admission Certificate/ Bonafide certificate from a Govt./MCD/NDMC or Govt. recognised school/ Government recognised & affiliated university/college/institutions affiliated/recognised by UGC/ or any other government body any other Government body.
  - f. If the girl child is studying in any Private School in Delhi falls under the eligibility Criteria of the scheme, a certificate from the Principal of the School, duly counter signed/attested by the District Education Officer of concerned area shall be mandatory.
  - g. An immunization certificate, in accordance with the Government Norms, shall be uploaded.

**7. Procedure for release of Financial Assistance for prescribed milestones:**

1. The Approved application will be downloaded by the Authorised Banking Partner & raise the interim to obtain the required fund from the Department to invest in the designated instrument.
2. The acknowledgement receipt against the Financial Assistance includes all the details of fund value and updated milestones, shall be available in the beneficiary's Login ID for downloading.
3. The authorised Banking Partner shall ensure the smooth mechanism for issuance of Financial Assistance acknowledgment receipt.
4. On the Maturity of the financial assistance, that is, i) on attaining the age of 18 years and having attended school upto class XII as a regular student or through the National Institute of open schooling, or ii) has attains 21 years and passed graduation, the accumulated amount will be paid to the girl child in her Aadhar linked Bank Account.

5. If a beneficiary enters into a marriage prior to attaining the age of **eighteen (18) years**, she shall be summarily disqualified from any further renewal of milestone and also receiving the **maturity amount** under this scheme. In such case, the maturity amount shall be credited back to the Government.
  6. The disbursement of benefits is subject to the condition precedent that the girl child has completed the necessary immunization as prescribed by the Government. Failure to produce a certified immunization record from a competent health authority shall result in the disqualification of the application. In such case, the maturity amount shall be credited back to the Government.
  7. All Maturity Benefits due in a particular year shall be disbursed once in a year at one go by the Department.
  8. The Competent Authority shall reconcile the expenditure with the concerned authorised banks after every six months.
  9. If a beneficiary has not renewed any subsequent milestone after her initial enrolment till she attains 21/25 years of age, then she will no longer be eligible to receive any further benefits under the scheme. Accordingly, the total amount that had been deposited in her name under the scheme, along with the accumulated interest, will be taken back and credited to the Government and no further claim or representation for benefits under the scheme will be entertained.
- 8. Tenure & renewal of Financial Assistance:**
1. The Directorate of Education will make sure that all the girls who are admitted in Class I, VI, IX, XI, XII in schools run by Dept. Education/MCD/NDMC schools and recognised schools in Delhi, shall apply and initiate required renewals as applicable under the said scheme.
  2. Any Institution affiliated/recognised by any Government body, anywhere in India, providing Polytechnic/ ITI Courses, will make sure that all the girls who are admitted in Polytechnic/ITI after passing class X, shall apply and initiate required renewals as applicable under the said scheme.
  3. Any University/College affiliated/recognised by UGC or any other Government body, will make sure that all the girls who are admitted in Graduation, shall apply and initiate required renewals as applicable under the said scheme.
  4. The renewal of financial assistance shall be made at every subsequent stage of deposit/ milestones, as applicable.
  5. If a beneficiary fail to claim benefit at any subsequent milestone after her initial enrolment, she may avail the same at the time of renewal of any other upcoming milestone.
  6. The beneficiary is eligible to renew any milestone under the scheme subject to fulfilment of immunization required as per age / prescribed as per the Government Norms. (This will apply for all new beneficiaries applying under the scheme w.e.f. 01.04.2026). Each school shall ensure the initiation and completion of immunization of the girl child in accordance with the prescribed Govt. rules.

7. At the time of renewal, a bonafide certificate certifying that the beneficiary is alive and pursuing her studies, as applicable, shall be obtained from the concerned School/College/Institution, duly attested by the Principal/Head of the School/College/Institution in accordance with the prescribed rules.
8. The onus of producing such certificate will be on the parents/guardian/school/college/Institution of the girl child.
9. The Competent Authority will issue sanction order on the approved renewal applications and submit to the authorised Bank.

**9. Change of Address:**

The applicant shall intimate any change of residence/school address along with proof to the Competent Authority within one month of such change.

**10. Other Stipulations:**

If a girl child could not have registered within one year of her birth, she may apply at the later stage, within the prescribed time, provided she meets the eligibility criteria, she shall be entitled only to release of those payments which are due from the stage she joins the scheme.

**11. Appellate Authority:**

In case of Grievances, the applicant may appeal to the Director, Department of Women & Child Development for redressal of her grievance in this regard and the decision of the Director shall be final.

This issues in pursuance of Cabinet Decision No.3312 circulated vide letter No F.5314/GAD/CN/2026/1218 dated: 01.03.2026 of the Secretary to the Cabinet.

By Order and in the Name of Lt. Governor of  
the National Capital Territory of Delhi,  
Dr. RASHMI SINGH, Secy.